न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 06/2026

जनसेवा निवासी खेतड़ी पिन कोड 333504 मो.न. 9460566662
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर
– –
सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 22.01.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 06/2026 पर दिनांक 07.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/84–85 दिनांक 08.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर ने पत्रांक आरटीआई/2026/03 दिनांक 19.01.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आर.टी.आई. का ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय में लगाया गया था, उक्त आवेदन इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण एवं चाही गई सूचना की प्रकृति प्रश्नात्मक होने के कारण प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना एवं सूचना की व्याख्या करना देय नहीं है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2025/1566 दिनांक 26.12.2025 से आवेदक को सूचना दे दी गई थी, आवेदक का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2025 को ऑनलाईन प्राप्त होने के कारण पोटर्ल पर भी आवेदक के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आर.टी.आई. का ऑनलाईन आवेदन उनके कार्यालय में लगाया गया था, उक्त आवेदन उनके कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण एवं चाही गई सूचना की प्रकृति प्रश्नात्मक होने के कारण प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना एवं सूचना की व्याख्या करना देय नहीं है। इस सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2025/1566 दिनांक 26.12.2025 से अपीलार्थी को सूचना दे दी गई थी। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2025 को उनके कार्यालय में ऑनलाईन प्राप्त होने के कारण पोटर्ल पर भी आवेदक के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थी को सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनू

Scanned with CamScanner